कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या 18395/2019 प्रतिमा मोहन कौशिक बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम स्थगनादेश दिनांकः 03.12.2019 जारी किया गया था जिसकी अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.12.2019 द्वारा श्रीमती प्रतिमा मोहन कौशिक, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य (राउमावि अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर से राउमावि पोथीवाड़ा जिला बांसवाड़ा) को माननीय न्यायालय के याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर में पूर्ववत पदस्थापित रखा गया था।

सिविल रिट पिटीशन संख्या 18395/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 29.01.2020 द्वारा याचिकार्थी श्रीमती प्रतिमा मोहन कौशिक पर **माननीय न्यायालय से आधारभूत तथ्य छिपाने की एवज में रूपये 20000/– (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित करते हुए** उनकी याचिका को खारिज कर दिये जाने एवं विभागीय आदेश दिनांकः 29.09.2019 के याचिकार्थी श्रीमती प्रतिमा मोहन कौशिक एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 श्रीमती सुनिता जाटव के सम्बन्ध में पुनः प्रभावी हो जाने की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए श्रीमती सुनीता जाटव, प्रधानाचार्य राउमावि–जावल, कोटडी जिला भीलवाड़ा को राउमावि अग्रवाल फार्म, मानसरोवर जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

श्रीमती प्रतिमा मौहन कौशिक, प्रधानाचार्य के स्थानान्तरित स्थान राउमावि पोथीवाडा, जिला बांसवाड़ा में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में उनका पदस्थापन/समायोजन राउमावि ढोढिया, आनन्दपुरी जिला बांसवाडा में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण करें। **श्रीमती कौशिक को पाबन्द किया जाता है कि वे माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित शास्ति रूपये 20000/–(बीस हजार मात्र) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के चार सप्ताह के भीतर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर शाखा जयपुर में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।**

4/2

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/प्रतिमा कौशिक/18395/2019 दिनांकः 04/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/उदयपुर संभाग, जयपुर/उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/बांसवाडा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/बांसवाडा।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)